न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर

(न्याय निर्णयन अधिकारी : दीपेन्द्र सिंह राठौर, आर.ए.एस.)

प्रकरण सख्या : 14/2024 (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम/नियम)

GCMS NO : 2024/15

अनवान

1. राज्य सरकार जरिये श्री जगदीश प्रसाद सैनी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उदयपुर (राज.)

–प्रार्थी

बनाम

1. श्री शैलेष हुमड पिता श्री चन्द्रसिंह हुमड जैन मैसर्स सीएस ड्रग डिस्ट्रीब्यूटर्स शोप न. 6 महावीर कॉम्प्लेक्स एस.सी मधुवन, उदयपुर स्थाई पता 26/1 सुभाष नगर बीएन कॉलेज के सामने उदयपुर मो. 9460030069
2. डायरेक्टर मैसर्स औरियम हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड श्री रंजीत सिंह पुत्र श्री नारायणसिंह राजपूत स्थाई पता कटलार, तह. दलोदा, जिला मंदसौर मध्य प्रदेश मो. 9977070243 ईमेल aureumhealthcareltd@gmail.com
3. डायरेक्टर मैसर्स औरियम हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड श्री छित्तरमल धाकड स्थाई पता मकान न. 105 वार्ड न. 5 कंकरिया तलाई तह. सिंगोली जिला निमच मध्यप्रदेश मो. 9499562550 ईमेल aureumhealthcareltd@gmail.com
4- निर्माता मैक्स क्योर न्युट्रावेदिक लिमिटेड स्थाई पता प्लोट न. 13 सेक्टर 6 ए, आईआईई, सीडकुल, रानीपुर, हरिद्वार उत्तराखण्ड फोन 91–1334–239220, 239221, 239222 ईमेल works@maxcure.in

–विपक्षीगण

उपस्थित

1. श्री जगदीश प्रसाद सैनी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी।
2. श्री विनय साराश्वत अधिवक्ता विपक्षीगण।

अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006, नियम 2011

●निर्णय●

दिनांक 27-09-2024

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राजपत्र मे प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक नोटिफिकेशन/2023/ दिनांक 14.03.2023

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट उदयपुर (राज.)

के अनुसरण श्री जगदीश प्रसाद सैनी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी जो वाद मे राज्य सरकार है द्वारा उक्त विपक्षी पर सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ विक्रय करने हेतु परिवाद दायर कर अवगत कराया है कि राज्य सरकार की ओर से वे 07.04.2023 को 3.30 पी.एम. वास्ते चेकिंग मैसर्स सीएस ड्रग डिस्ट्रीब्यूटर्स शोप न. 6 महावीर कॉम्प्लेक्स एस.सी मधुवन, उदयपुर पर पहूँचा, वहॉ विपक्षी श्री शैलेष हुमड उपस्थित पाये गये, जिन्होने स्वयं को मैसर्स सीएस ड्रग डिस्ट्रीब्यूटर्स शोप न. 6 महावीर कॉम्प्लेक्स एस.सी मधुवन, उदयपुर का विक्रेता होना बताया। विक्रेता से फर्म का अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन मांगा जो उपलब्ध पाया।

निरीक्षण के समय विक्रेता के दुकान पर Auremom(chocolate Flavour) Powder Nutracetical के 12 पैक्ड कम्पनी सीलबन्द डिब्बे आम जनता को वास्ते बिक्री रखे पाये गये, इसमें सबस्टेण्डर्ड/अनसेफ की शंका होने से उक्त 4 पैक्ड डब्बे वास्ते नमूना जांच हेतु नियमानुसार क्रय किया। जिसकी सूचना विपक्षी को फार्म नम्बर V A पर दी। क्रय Auremom(chocolate Flavour) Powder Nutracetical पैकेट की कीमत विक्रेता के बताये अनुसार 2234 रू. चुका रसीद प्राप्त की।

प्रार्थी ने अपने आवेदन मे उल्लेख किया कि उक्त क्रयशुदा Auremom(chocolate Flavour) Powder Nutracetical पैकेट पर विक्रेता तथा गवाहन की उपस्थिति में नियमानुसार लेबल चिपकाया व लेबल पर नमूना कोड व क्रमांक, नमूना लेने की दिनांक एवं स्थान, नमूने की किस्म अंकित कर हस्ताक्षर किये एवं विपक्षी, गवाहों के हस्ताक्षर करवायें एवं नमूना को सील कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लीप नम्बर **ए.ए–2222** का एक–एक भाग प्रत्येक नमूनो पर पेंदे से शीर्ष तक चिपका कर सील बंद नमूनो पर खाद्य कारोबारकर्ता के पेपर स्लीप व रेपर पर नियमानुसार क्रॉस हस्ताक्षर कराये एवं नमूने की सील भागो को कब्जे मे लिया।

एक सील बंद नमूना मय फार्म न. 6 की प्रति के आउटकवर मे सील कर खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर को वास्ते जांच भेजा साथ मे फार्म न. 6 की एक प्रति जिस पर नमूना सील अंकित था एक लिफाफे मे सील बंद कर खाद्य विश्लेषक को भेजी। नमूने के एक सील बंद भाग को मय फार्म न.6 की प्रतियों के आउटकवर मे सील बंदकर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर को जमा कराई व नमूने के चौथे भाग को फार्म न.6 की प्रति के साथ आउटर कवर मे सील बंद कर अभिहित अधिकारी को जमा कराया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2023/4507 दिनांक 08.05.2023 के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर की रिपोर्ट न. एलएस/271/एक्ट/2023/271 दिनांक 21.04.2023 की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसके अनुसार उक्त नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zx)के तहत सबस्टैण्डर्ड पायी गई, क्योंकि Energy value in kcal 381.7 होना चाहिए था, कि जगह 233.08 पाया गया एवं Carbohydrate in

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
उदयपुर (राज.)

gm. 75.07 होना चाहिए था, कि जगह 37.95 पाया गया । अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2023/4508 दिनांक 08.05.2023 के द्वारा विक्रेता को धारा 46(4) के तहत खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के विरुद्ध अपील हेतु रजिस्टर्ड नोटिस दिया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूनो की पत्रावली अभिहित अधिकारी को प्रस्तुत करने पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर के पत्र क्रमांक मु.चि.अ./एफ.एस.एस.ए./2024/823 दिनांक 06.02.2024 द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस को न्याय निर्णयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया।

कार्मिक (क–4) विभाग, राज. सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/ क–4/08 जयपुर दिनांक 05.04.2012 द्वारा राज्य के सभी जिलो मे कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जिनके पास सिविल न्यायालय के अधिकार है, को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उनके अधिनस्थ कार्यक्षेत्र के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किया गया है। इनका टर्नऑवर 12 लाख रूपये वार्षिक से कम है।

उक्त अधिसूचना के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र जारी किया जाकर अपना पक्ष प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। सुनवाई हेतु नियत तिथि को आरोपी मय अधिवक्ता न्यायालय मे उपस्थित होकर प्रकरण में जवाब नहीं देना चाहकर सीधे बहस करना चाहा एवं प्रकरण को स्वीकार कर प्रकरण में कम से कम जुर्माना लगाने का निवेदन किया।

प्रकरण में उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं सबस्टैडण्र्ड खाद्य पदार्थो का निर्माण/विक्रय करने से भारी से भारी जुर्माना से दण्डित किया जाने का निवेदन किया। विपक्षी द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता को खाद्य सुरक्षा अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप सुधार कर लिया गया है, प्रथम भूल होने से प्रकरण में राहत प्रदान करे। प्रकरण को स्वीकार कर कम से कम जुर्माने से दण्डित किया जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण पर विक्रेता के दुकान पर Auremom(chocolate Flavour) Powder Nutracetical के 12 पैक्ड कम्पनी सीलबन्द डिब्बे आम जनता को वास्ते बिक्री रखे पाये गये, इसमें सबस्टेण्डर्ड/अनसेफ की शंका होने से उक्त 4 पैक्ड डब्बे वास्ते नमूना जांच हेतु नियमानुसार क्रय किया। जिसकी सूचना विपक्षी को फार्म नम्बर V A पर दी। नियमानुसार सीलबंद कर जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर को वास्ते विश्लेषण प्रेषित किया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट अनुसार नमूना **Auremom(chocolate Flavour) Powder Nutracetical** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत सबस्टैण्डर्ड पायी गइ। **क्योंकि Energy value in kcal 381.7 होना चाहिए था, कि जगह 233.08 पाया गया एवं Carbohydrate in gm. 75.07 होना चाहिए था, कि जगह 37.95 पाया गया।** प्रकरण मे अभियोजन पक्ष की ओर से की गई समस्त कार्यवाही नियमानुसार

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
उदयपुर (राज.)

पाई जाती है। समग्र तथ्यों पर विवेचन उपरान्त उक्त खाद्य नमूना सबस्टैण्डर्ड होना स्पष्ट जाहिर हैं।

मामले मे यह भी कहना उचित होगा कि कोई भी उपभोक्ता उसके स्वास्थ्य लाभ के लिये विश्वास के आधार पर खाद्य कारोबारकर्ता/खाद्य निर्माता से खाद्य उत्पाद को क्रय कर उसका सेवन/उपयोग करता है एवं प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्ता/खाद्य निर्माता का यह दायित्व है कि वह ग्राहको के हितों को ध्यान मे रखते हुये खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मापदण्ड़ एवं दिशा निर्देशों की पूर्णतया पालना करे। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 51 मे सबस्टेण्डर्ड के मामलों मे अधिकतम राशि 5,00,000/– शास्ति का प्रावधान अंकित हैं। उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान मे रखते हुए एवं मामले की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण को अधिकाधिक शास्ति के दण्ड से दंडित किये जाने योग्य है।

प्रकरण मे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zx)के तहत सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय व उपयोग करके विपक्षी आरोपी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत अपराध कारित होने से आरोपीगण को संयुक्त रूप से राशि ₹ 2,00,000/ अक्षरे रूपया दो लाख रूपया मात्र के आर्थिक दण्ड़ से दण्ड़ित किया जाता हैं एवं आदेशित किया जाता है कि भविष्य मे सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थो का निर्माण/विक्रय न करें। विपक्षी आरोपी जुर्माना राशि "न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट उदयपुर" के नाम जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा चालान के माध्यम से एक माह मे आवश्यक रूप से जमा करावें।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(दीपेन्द्र सिंह राठौर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
उदयपुर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
उदयपुर (राज.)